निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या 1951/बा0वि0परि0/[illegible]/2018–19 दिनांक : 19 जून 2018

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद से बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संघ के पदाधिकारी अक्सर छोटी–छोटी मांगों को लेकर निदेशालय में आते रहते है तथा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में रुचि नही लेते है, जिसके कारण विभाग की छवि आम जनता में घूमिल हो रही है। संगठन के पदाधिकारी के नाम पर अपना कार्यस्थल छोड़कर अनावश्यक रुप से लखनऊ एवं निदेशालय में आकर मांगपत्र देने के बहाने आते रहते है। यह स्थिति ठीक नही है। वर्तमान में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ता फर्मो/कम्पनियों द्वारा की जा रही है तथा परियोजना कार्यालय से आंगनबाड़ी केन्द्रों तक अनुपूरक पोषाहार पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कोई बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संगठन के पदाधिकारी के नाम पर अपना कार्यस्थल छोड़कर संगठन के कार्यो में लगे रहना विभागीय हितों के प्रतिकूल है, क्योंकि सबकी जवाबदेही विभाग एवं जनता के प्रति है। अनुपूरक पोषाहार लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिये यह आवश्यक है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर रहकर कार्य करें तथा अनावश्यक रुप से समय नष्ट न करें। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी बिना जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किये अपना कार्यस्थल/मुख्यालय नही छोड़ेगें। इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, मुख्य सेविका बिना जिला कार्यक्रम अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किये अपना कार्य स्थल नही छोडेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका, बाल विकास परियोजना अधिकारी से बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये अपना कार्यस्थल नही छोड़ेगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संगठन के पदाधिकारियों को संगठन के कार्य से निदेशालय आने से पूर्व जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि किसी संगठन के पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वतः अपने स्तर से कार्यवाही करेगें अथवा अधोहस्ताक्षरी को अपनी आख्या प्रेषित करेगें। यदि कोई संगठन का पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति लिये निदेशालय आता है और यह तथ्य संज्ञान में आ जाता है तो उनका मानदेय काटते हुये उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्राथमिकता से की जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक